“मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन”

Mandip kumar chaurasiya

Assistant professor(Guest)

Dept. of A.I.H. & Archaeology

Patna university, patna-800005

M.A. Semester - III

Paper/CC – 13 Religion Philosophy & Political Administration of Ancient India

मौर्य काल में भारत ने पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त की थी तथा एक विशाल साम्राज्य पर मौर्य शासको ने शासन किया| इस विशाल साम्राज्य के प्रशासनिक-व्यवस्था पर हमे अनेक ऐतिहासिक स्रोत से जानकारी प्राप्त होती हैं जिनसे हमे ज्ञात होता है कि मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था कितनी सुदृढ़ थी| कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक के शिलालेख एवं अनेक यूनानी रचनाओं से हमे मौर्य शासन प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है| चन्द्रगुप्त ने अपने गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से अति सुदृढ़ शासन व्यवस्था का प्रारम्भ किया| चन्द्रगुप्त के पौत्र अशोक ने भी कुछ संशोधन के साथ इसी शासन प्रणाली को अपनाया| मौर्य प्रशासन को हम सुविधा के अनुसार अनेक भागों में विभाजित कर सकते है, लेकिन उनमे केंद्रीय प्रशासन का एक अपना महत्व हैं| जिसके बारे में हम आगे व्याख्या करेगें|

केंद्रीय प्रशासन (Central Administration)

राजा - मौर्य-साम्राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, अत: शासन का प्रधान राजा होता था| राजतंत्रात्मक शासन-प्रणाली में राजा का योग्य होना अत्यंत आवश्यक था| चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा को परिश्रमी, गुणवान, शीलवान होना चाहिए जिससे प्रजा भी परिश्रमी और गुणवान हो जाती हैं| चाणक्य ने कहा है कि राजा में निम्न गुणों का होना अति आवश्यक है- राजा ऊँचे कुल का हो, उसमे दैवीय बुद्धि और शक्ति हो, वह वृद्ध जनों की बात सुनने वाला हो, उसका लक्ष्य ऊँचा हो, अत्यधिक उत्साही हो, दृढ बुद्धि वाला हो आदि|

मौर्य काल में राज्य की सम्पूर्ण शक्ति राजा के हाथों में ही केन्द्रित थी| राजा के प्रमुख तीन कर्तव्य थे- शासन सम्बन्धी, न्याय सम्बन्धी एवं सैनिक| शासक की हैसियत से वह राज्य के अधिकारीयों की नियुक्ति करता, विदेशी राजदूतों से विचार विमर्श करता, गुप्तचरों द्वारा राज्य के सम्बन्ध में विभिन्न विवरण सुनता, तथा प्रजा एवं राजकीय अधिकारीयों को आदेश भेजता था| न्यायधीश के रूप में, देश का सर्वोच्च अधिकारी भी था, उसे विभिन्न मामलो में अंतिम निर्णय देने का अधिकार था| युद्ध के समय सेना का स्वयं संचालन भी करता था| इस प्रकार मौर्य-सम्राटो में सम्पूर्ण शक्ति निहित थी|

मंत्री-परिषद - मौर्य साम्राज्य अत्यंत विशाल था| अत: अकेले राजा के लिए इतने विस्तृत साम्राज्य के प्रशासन को चलाना संभव नहीं था| अत: राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद थी| इस मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राजा ही नियुक्त करता था| इस मंत्री परिषद में साधारणतया 12 से 20 तक मंत्री होते थे| मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य राजा को परामर्श देना होता था किन्तु राजा उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था| मंत्रिपरिषद के कार्यवाही को गुप्त रखा

जाता था| विपत्ति काल में, राजा द्वारा प्रारम्भ किए जाने वाले कार्यो के उपाय के विषय में, कार्यों में व्यय होने वाले धन एवं कार्यकर्ताओं की संख्या के निर्धारण में, राजकार्यों के सम्पादन हेतु स्थान एवं समय निर्धारण में, समस्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए साधन जुटाने में आदि में राजा साधारणतया मंत्रिपरिषद के ही सलाह से कार्य करता था| मंत्रिपरिषद की बैठक जिस भवन में होती थी उसे मंत्र-भूमि कहते थे|

विभागीय व्यवस्था - मंत्रिपरिषद एवं राजा के द्वारा मुख्यतया निति-निर्धारण का कार्य किया जाता था, तत्पश्चात उन नीतियों को कार्यान्वित करने का प्रमुख कार्य नौकरशाही के द्वारा किया जाता था| मौर्य काल में प्रशासन की सुविधा के लिए अठारह विभागों की स्थापना की गई थी जिन्हें तीर्थ कहते थे| प्रत्येक विभाग के संचालन एवं निरिक्षण के लिए एक अध्यक्ष होता था जिसे “आमात्य” कहा जाता था| आमात्य अपने विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था| अर्थशास्त्र में निम्नलिखित अठारह अमात्यों का वर्णन मिलता है|

(I) **मंत्री और पुरोहित**- ये दोनों पद अलग-अलग थे किन्तु चन्द्रगुप्त के समय में चाणक्य ही इन दोनों पदों पर कार्य कर रहे थे| इनका प्रमुख कार्य वैदेशिक निति, गुप्तचरों की नियुक्ति, शिक्षा की व्यवस्था एवं धार्मिक कार्यकलाप थे| यह तत्कालीन व्यवस्था में महत्वपूर्ण पद थे|

(II) **समाहर्ता**- यह जनपद के शासन को संचालित करने वाला अधिकारी था| इनका प्रमुख कार्य राजस्व को एकत्र करना था|

(III) **सन्निधाता**- राजकीय कोष के सर्वोच्च अधिकारी को सन्निधाता कहा जाता था|

(IV) **सेनापति**- युद्ध-विभाग के आमात्य को सेनापति कहते थे|

(V) **युवराज**- राजा का पुत्र होता था तथा भावी राजा होने के कारण किसी भी विभाग का आमात्य बन सकता था|

(VI) **प्रदेष्टा**- कंटक शोधन न्यायालय के आमात्य को प्रदेष्टा कहते थे|

(VII) **व्यावहारिक**- यह धर्मस्थीय न्यायालय का आमात्य होता था|

(VIII) **नायक**- सैन्य संचालन के लिए उत्तरदाई अधिकारी को नायक कहते थे|

(IX) **कार्मान्तिक**- उधोग-विभाग के आमात्य को कार्मान्तिक कहते थे|

(X) **मंत्री-परिषदाध्यक्ष-** मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था तथा राजा को परामर्श देना इसका मुख्य कार्य था|

(XI) **दण्डपाल**- सैन्य अधिकारी था, जिसका मुख्य कार्य सेना की समस्त आवश्यकता की पूर्ति करना था|

(XII) **अन्तपाल**- विदेशी आक्रमण से राज्य को बचाना, सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा, वहां छावनियों की स्थापना, आदि कार्य अंतपाल ही करता था|

(XIII) **दुर्गपाल**- राज्य के भीतरी भागो में स्थित दुर्गो की व्यवस्था दुर्गपाल करता था|

(XIV) **नागरक अथवा पौर**- नगर के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नागरक होता था|

(XV) **प्रशास्ता**- इस विभाग का कार्य राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करना तथा राज्य के सभी कागजो का विवरण सुरक्षित रखना होता था|

(XVI) **दौवारिक**- राजप्रसाद का प्रधान अधिकारी दौवारिक कहलाता था|

(XVII) **आन्तर्वेशिक-** राजा के अंगरक्षकों की सेना का प्रधान आन्तर्वेशिक कहलाता था| राजा और अन्तःपुर की रक्षा करना इसका कार्य था|

(XVIII) **आटविक**- वन सेना के प्रधान को आटविक कहते थे|

इस प्रकार से मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की जानकारी हमे प्राप्त होती हैं|